

अनुसूची-2  
वर्ष 2025 के लिए राज्य सरकार के कर्मियों के लिए ऐच्छिक/प्रतिबंधित अवकाशों की सूची।  
(पूरे वर्ष में इनमें से किन्हीं तीन का उपभोग किया जा सकता है।)

क्रमांक	पर्व/अवसर/ अवकाश का नाम	अवकाश के दिनों की संख्या	ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार तिथि	शाके तिथि/ हिजरी तारीख	सप्ताह के दिन
I	II	III	IV	V	VI
1.	नव वर्ष	1	01 जनवरी, 2025	पौष शुक्ल पक्ष द्वितीया	बुधवार
2.	मकर संक्रांति	1	14 जनवरी, 2025	माघ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा	मंगलवार
3.	कर्पूरी ठाकुर जयंती	1	24 जनवरी, 2025	माघ कृष्ण पक्ष दशमी	शुक्रवार
4.	होलिकादाहन	1	13 मार्च, 2025	फाल्गुन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी/पूर्णिमा	गुरुवार
5.	रमजान का अंतिम जुमा	1	28 मार्च, 2025	27 रमजान 1446 हिजरी	शुक्रवार
6.	ईदुल फित्र (ईद)	1	01 अप्रैल, 2025	02 शौव्वाल, 1446 हिजरी	मंगलवार
7.	ईदुल-जोहा (बक्रईद)	1	08 जून, 2025	11 ज़िलहिज्जा, 1446 हिजरी	रविवार
8.	अनुग्रह नारायण सिन्हा जयंती	1	18 जून, 2025	आषाढ़ कृष्ण पक्ष सप्तमी	बुधवार
9.	मुहर्रम	1	07 जुलाई, 2025	11 मोहर्रम, 1447 हिजरी	सोमवार
10.	अंतिम श्रावणी सोमवार	1	04 अगस्त, 2025	श्रावण शुक्ल पक्ष दशमी	सोमवार
11.	रक्षा बंधन	1	09 अगस्त, 2025	श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा	शनिवार
12.	हरितालिका तीज व्रत	1	26 अगस्त, 2025	भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया	मंगलवार
13.	अनन्त चतुर्दशी	1	06 सितम्बर, 2025	भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी	शनिवार
14.	जीवितपुत्रिका व्रत	1	14 सितम्बर, 2025	आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी	रविवार
15.	विश्वकर्मा पूजा	1	17 सितम्बर, 2025	आश्विन कृष्ण पक्ष एकादशी	बुधवार
16.	दुर्गा पूजा कलश-स्थापन	1	22 सितम्बर, 2025	आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा	सोमवार
17.	दुर्गा पूजा (एकादशी)	1	03 अक्टूबर, 2025	आश्विन शुक्ल पक्ष एकादशी	शुक्रवार
18.	जय प्रकाश नारायण जयंती	1	11 अक्टूबर, 2025	कार्तिक कृष्ण पक्ष पंचमी	शनिवार
19.	श्री कृष्ण सिंह जयंती	1	21 अक्टूबर, 2025	कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या	मंगलवार
20.	छठ पूजा (खरना)	1	26 अक्टूबर, 2025	कार्तिक शुक्ल पक्ष पंचमी	रविवार
21.	डॉ० राजेन्द्र प्रसाद जयंती	1	03 दिसम्बर, 2025	मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष त्रयोदशी	बुधवार
22.	क्रिसमस ईव	1	24 दिसम्बर, 2025	पौष शुक्ल पक्ष चतुर्थी	बुधवार

**टिप्पणी-**

- (1) चाँद के दृष्टिगोचर होने के अनुसार मुस्लिम त्योहारों के अवकाश की तिथि में परिवर्तन हो सकता है।
- (2) उपर्युक्त ऐच्छिक/प्रतिबंधित अवकाशों में से पूरे वर्ष में अधिकतम तीन अवकाशों का उपभोग किया जा सकेगा। इस हेतु कर्मियों को पूर्वानुमोदन लेना होगा और ऐसा अनुमोदन आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा दिया जा सकेगा। सरकारी कामकाज की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ऐसे अवकाश की मंजूरी दी जा सकेगी।
- (3) उपर्युक्त ऐच्छिक/प्रतिबंधित अवकाशों का उपभोग राज्य सरकार के सभी नियमित/संविदा नियोजित/वाह्य स्रोत से नियोजित कर्मियों द्वारा किया जा सकेगा।

गुफरान अहमद,  
सरकार के संयुक्त सचिव।